संख्या ए-20011/4/2020-हिन्दी - (23)
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

शिक्षित भारत विकसित भारत

खण्ड सं-9 के.स.का परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली -3/Lodhi Road, New Delhi-3
दिनांक/Date:- 23 मार्च 2026

विषय:- समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च 2026-तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च, 2026 तिमाही की बैठक श्री संजय अग्रवाल, निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की अध्यक्षता में दिनांक 18 मार्च, 2026 को अपराह्न 3 बजे सम्मेलन कक्ष (सातवाँ तल) में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों नें भाग लिया :-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	
1	श्री संजय अग्रवाल, निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री आर. के. वर्मा, अपर निदेशक (I)	सदस्य
3	श्री घनश्याम, अपर निदेशक (II)	सदस्य
4	श्री नरेश कुमार, संयुक्त निदेशक	सदस्य
5	श्री विद्याधर, संयुक्त निदेशक	सदस्य
6	श्री एच. एस. श्रीहरि, संयुक्त निदेशक	सदस्य
7	श्री हेमंत कुमार, उप निदेशक	सदस्य
8	श्री रामप्रसाद, उप निदेशक	सदस्य
9	श्री के. साहा, उप निदेशक	सदस्य
10	श्री जे जेनू, सहायक निदेशक	सदस्य
11	श्री अभिषेक यादव, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य-सचिव
12	श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	राजभाषा अनुभाग

मद संख्या 1. <u>पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि</u>:- सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 को अपराह्न 03 बजे श्री संजय अग्रवाल, निदेशक समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई थी। बैठक की कार्यवृत्त सभी सदस्यों, मुख्यालय के सभी अनुभागों एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी थी व सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की।

मद संख्या 2. <u>पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा</u>:- सदस्य सचिव ने विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के बिंदुओं की अनुपालन रिपोर्ट पढ़कर सुनाई-

क्र.सं.	बैठक में लिया गया निर्णय	अनुवर्ती कार्रवाई
1.	वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुपालन में न्यूनतम 30% अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया जाना ।	सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा 04 अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रों का राजभाषा निरीक्षण किया जा चुका है। अन्य 06 केंद्रों के निरीक्षण हेतु अन्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
2.	निदेशालय के अनुभागों की तिमाही रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि सामग्री प्रबंधन, भू व भवन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन अनुभाग के हिंदी पत्राचार में सितम्बर 2025 की तिमाही में काफी कमी आई है । अन्य सभी अनुभागों के हिंदी पत्राचार में जून 2025 की तुलना में सितम्बर 2025 के तिमाही में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग प्रमुखों को निदेश दिए कि वे हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए और प्रयास करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।	राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुभाग स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं एवं हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
3.	'क' क्षेत्र के सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रो के सितम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि देहरादून एवं जयपुर केंद्र का हिंदी पत्राचार केवल 70% एवं 68% रहा जो तय लक्ष्य (100%) से बहुत कम है । इसके साथ ही रायपुर केंद्र का हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत केवल 2.43% रहा जो स्वीकार्य नहीं है । 'ख' क्षेत्र में दमन केंद्र को हिंदी पत्राचार बढ़ाने के निदेश दिए गए । 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के सितम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट में पाया गया कि इम्फाल एवं कवरत्ती केंद्रो के 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार क्रमशः 13.79% एवं 09.09% रहा जो तय लक्ष्य से बहुत कम है । सभी संबंधित केंद्रो को हिंदी पत्राचार एवं टिप्पणियों को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए निदेश दिए गए ।	सभी संबंधित केंद्रों को हिंदी पत्राचार बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इसके अनुपालन में केंद्रों द्वारा ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया है कि हिंदी पत्राचार एवं टिप्पणियों का प्रतिशत बढ़ाने हेतु विभिन्न आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
4.	सरकारी कामकाज में मूल रूप में हिंदी में कार्य करने हेतु टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना के	सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में कार्य करने हेतु टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन

	अंतर्गत पुरस्कार निर्धारण के लिए समिति का गठन किया जा चुका है। जल्द ही पुरस्कारों का निर्धारण कर दिया जाएगा।	योजना के अंतर्गत पुरस्कार निर्धारण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रगति पर है। इस विषय में ई-फाइल प्रक्रियाधीन है तथा अनुमोदन प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
5.	राजभाषा विभाग के दिशानिर्देश अनुसार हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वार्षिक राजभाषा शील्ड प्रदान किए जा सकते हैं । सदस्य सचिव ने सभी उपस्थित सदस्यों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक भाषायी क्षेत्र 'क', 'ख' एवं 'ग' तथा दिल्ली स्थित अनुभागों/कार्यालयों के लिए एक-एक शील्ड (कुल चार शील्ड) प्रदान किए जा सकते हैं । योजना की अवधि वित्तीय वर्ष होगी । सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में राजभाषा शील्ड योजना वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) से लागू की जायेगी । एवं प्रत्येक भाषायी क्षेत्र 'क', 'ख' एवं 'ग' तथा दिल्ली स्थित अनुभागों/कार्यालयों के लिए एक-एक शील्ड (कुल चार शील्ड) प्रदान किए जायेंगे । पुरस्कारों के निर्धारण के लिए राजभाषा विभाग के दिशानिर्देश अनुसार मापदण्ड़ का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु राजभाषा अनुभाग द्वारा तैयार किया जायेगा । पुरस्कारों का निर्धारण निदेशालय में गठित समिति द्वारा किया जायेगा ।	राजभाषा शील्ड योजना के संबंध में आवश्यक परिपत्र जारी कर दिया गया है। योजना वर्ष 2025-26 हेतु संबंधित अनुभागों/केंद्रों से आँकड़े माह अप्रैल में मंगवाए जाएंगे, जिसके उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
6.	राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार 'क' क्षेत्र के प्रत्येक कार्यलयों के विभिन्न अनुभागों में से न्यूनतम 45% अनुभागों को शत-प्रतिशत हिंदी में कार्य करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाना अनिवार्य है । अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि कार्यालय के चयनित अनुभागों को चरणबद्ध रूप से शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिससे राजभाषा के प्रयोग में निरंतर वृद्धि एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।	इस विषय में ई-फाइल प्रक्रियाधीन है ।

उपर्युक्त में से मद संख्या 5 एवं 6 के संबंध में राजभाषा शील्ड योजना एवं अनुभागों को विनिर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निदेश दिए गए ।

(कार्रवाई – राजभाषा अनुभाग/मुख्यालय)

मद संख्या 3. <u>निदेशालय की तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा</u>:-

निदेशालय के अनुभागों की तिमाही रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि लेखा, सामग्री प्रबंधन एवं संचार केंद्र अनुभागों के हिंदी पत्राचार में दिसम्बर 2025 की तिमाही में काफी कमी आई है । अन्य सभी अनुभागों के हिंदी पत्राचार में सितम्बर 2025 की तुलना में दिसम्बर 2025 के तिमाही में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है |

अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग प्रमुखों को निदेश दिए कि वे हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए और प्रयास करे जिससे राजभाषा विभाग द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके |

(कार्रवाई – सभी अनुभाग प्रभारी , मुख्यालय)

मद संख्या 4. <u>अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रो की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा</u>:-

'क' क्षेत्र के सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रो के दिसम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि रायपुर एवं देहरादून केंद्रों का हिंदी पत्राचार केवल 69.69% एवं 67.7% रहा जो तय लक्ष्य (100%) से बहुत कम है । इसके साथ ही रायपुर केंद्र का हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत केवल 5.66% रहा जो स्वीकार्य नहीं है ।

'ख' क्षेत्र में दमन केंद्र को हिंदी पत्राचार बढ़ाने के निदेश दिए गए । 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के दिसम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट में पाया गया कि हैदराबाद केंद्र के 'क' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 8.45% रहा जो तय लक्ष्य से बहुत कम है ।

सभी संबंधित केंद्रो को हिंदी पत्राचार एवं टिप्पणियों को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए निदेश दिए गए ।

(कार्रवाई – सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्र)

मद संख्या 5. <u>वार्षिक गृह पत्रिका का प्रकाशन</u>:

दिनांक 19 फरवरी, 2026 को आयोजित स्थापना दिवस (Raising Day) समारोह के अवसर पर समयाभाव के कारण विभागीय पत्रिका का प्रकाशन हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया गया।

सदस्य सचिव द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार की वार्षिक गृह पत्रिका का प्रकाशन केवल हिंदी भाषा में किया जाए।पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि लेख आमंत्रित करने हेतु सभी राज्यों के PRO को पत्र लिखा जाए तथा समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार के सेवानिवृत्त कार्मिकों से भी लेख आमंत्रित किए जाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को संपादक मंडल में सह-सदस्य अथवा परामर्शदाता के रूप में नामित किया जा सकता है।

(कार्रवाई – राजभाषा अनुभाग, मुख्यालय)

मद संख्या 6. <u>हिंदी भाषा प्रशिक्षण के संबंध मे:</u>

सदस्य सचिव ने प्रस्ताव रखा कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ में अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी भाषा में कार्य करने की क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत आदि हिंदी भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उनकी सहभागिता बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में प्रशिक्षण की आवश्यकता, संभावित प्रतिभागियों की सूची तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जाये ।

(कार्रवाई – राजभाषा अनुभाग, मुख्यालय)

अंत में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक को समाप्त करने की घोषणा की।

अभिषेक यादव
23/03/2026
(अभिषेक यादव)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिः-

1. मुख्यालय के समस्त अनुभाग / सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र / सभी संबंधित अधिकारी को वेबसाइट के माध्यम से ।